कार्यालय नगर निगम, अजमेर

(सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय गांधी भवन, अजमेर)

क्रमांक : /सार्व. पु. गांधी भवन/2017 –18/19 दिनांक : 15-6-17

<u>रद्दी नीलामी सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ,अजमेर के स्थानीय गांधी भवन पुस्तकालय में एकत्रित पुरानी पत्र–पत्रिकाऐं एवं अनुपयोगी रद्दी की खुली नीलामी दिनांक ..... 28-06-17 को प्रातः 11 बजें से गांधी भवन ,अजमेर के पुस्तकालय प्रभारी के कक्ष में की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति/व्यापारी द्वारा रद्दी की नीलामी में भाग लेने से पूर्व बतौर अमानत राशि 5000/–रूपयें (पांच हजार रूपये) नगद जमा कराना होगा।

सफलतम रहे बोलीदाता को तत्काल नीलामी की पूरी राशि जमा करानी होगी तथा रद्दी दो दिवस में पुस्तकालय से उठानी होगी। अन्य शर्तो की जानकारी गांधीभवन सार्वजनिक पुस्तकालय से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में प्राप्त की ज़ा सकती है। नीलामी के संदर्भ में समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र नगर निगम अजमेर का निर्णय अंतिम होगा।

उपायुक्त (प्रशा.)
नगर निगम ,अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
(सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय गांधी भवन, अजमेर)

क्रमांक : /सार्व. पु. गांधी भवन/2017 –18/119 दिनांक : 15/6/17

खुली बोली नीलामी की शर्ते

नगर निगम अजमेर के पुस्तकालय विभाग की पुरानी पत्र–पत्रिकाएं एवं अनुपयोगी रद्दी की दिनांक 28-06-17 को होने वाली नीलामी की शर्तेः–

1. पुरानी पत्र–पत्रिकाऐं एवं अनुपयोगी रद्दी की खुली नीलामी की जाएगी।
2. नीलामी बोली लाट की दर से देनी होगी।
3. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को राशि रूपयें 5000/– बतौर अर्नेस्टमनी जमा करानी होगी।
4. उच्चतम बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद निगम कोष में आवश्यक रूप में जमा होगी।
5. उच्चतम बोली द्वारा सम्पूर्ण राशि बोली समाप्ति के पश्चात जमा नहीं कराने पर अर्नेस्टमनी हेतु जमा कराई गई राशि 5000/–रूपयें जब्त कर ली जाएगी तथा पुनः नीलामी की कार्यवाही की जावेगी।
6. सम्पूर्ण राशि जमा होने के 2 दिवस के भीतर सफलतम बोलीदाता को रद्दी की लाट मौके पर से उठाना होगा अन्यथा 200/–रूपये प्रतिदिन की दर से पेनेल्टी के रूप में जमा करना होगा।
7. बोली स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त महोदय/महापौर महोदय का होगा।
8. इस नीलामी के संदर्भ में विवादों में महापौर तथा आयुक्त नगर निगम का निर्णय अंतिम होगा।
9. उक्त बोली के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई कर आदि देय होगा तो उसका भुगतान स्वयं सफलतम बोलीदाता को ही करना होगा।
10. समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र अजमेर ही होगा।

उपायुक्त(प्रशा.)
नगर निगम ,अजमेर